



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59044-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**रिट सी याचिका संख्या - 10775 वर्ष 2026**

शिव कुमार ठाकुर और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पल्लवी मिश्रा, विवेक प्रकाश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अंजलि उपाध्या, सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 21**

**माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी**

**माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह**

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



1. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती उत्तरा बहुगुणा, राज्य-प्रतिवादियों की विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अंजली उपाध्याय की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रमुख राहतों के लिए दायर की गई है:

"I. दिनांक 24.01.2024 की विवादित सूचनाओं और दिसंबर 2025 में तामील की गई एक अदिनांकित सूचना (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 और 4) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

II. याचिकाकर्ताओं के मकानों को ध्वस्त/बेदखल न करने का आदेश देने के लिए परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यह मकान प्लॉट संख्या 1 और 2, खसरा संख्या 773, ग्राम बिसरख, जलालपुर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित है।"

III. याचिकाकर्ता संख्या 1 के मानचित्र को स्वीकृत करने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 के मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्देश दिया जाए, जिसे 29.01.2026 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, याचिकाकर्ता के दिनांक 30.12.2025 और 20.01.2026 के अभ्यावेदनों (जो 29.01.2026 को प्राप्त हुए) पर निर्णय लेकर।

IV. इस मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



#### V. याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (जिसे आगे "अधिनियम, 1976" कहा गया है) की धारा 9 और 10 का हवाला दिया है। उनका कहना है कि अधिनियम, 1976 की धारा 9 और 10 के तहत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाए गए वैधानिक नियमों के अभाव में, प्राधिकरण को ऐसी भूमि पर निर्मित निर्माणों को स्वीकृत करने, विनियमित करने या ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त निवेदन के समर्थन में, 27.11.2019 को पारित निर्णय पर भरोसा किया गया है, रिट-सी संख्या 49104/2017 (नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण सी.ई.ओ. के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य), जिसे विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 9941/2022 को खारिज किए जाने के बाद 29.01.2025 और समीक्षा याचिका संख्या 633/2025 को 08.04.2025 को बरकरार रखा गया है। इसलिए, निवेदन है कि, उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, प्राधिकरण को कानून के अनुसार ही किसी भी प्रकार की विध्वंस कार्रवाई करने से रोका जाए। उन्होंने न्यायालय को यह भी सूचित किया है कि याचिकाकर्ताओं ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। उन्होंने राहत को इस हद तक सीमित कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अंजली उपाध्याय ने मांगी गई राहतों का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला ग्राम बिसरख, जलालपुर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित खसरा संख्या 773 से संबंधित है, और उक्त विवादित खसरा पर पहले ही रिट याचिका संख्या 24772/2025 (तनवीर खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में विचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



खंडपीठ ने यह माना था कि चूंकि प्राधिकरण ने विवादित भूमि पर निर्माण के लिए योजना स्वीकृत नहीं की थी, इसलिए उस पर किया गया कोई भी निर्माण उचित अनुमति के बिना था, और तदनुसार रिट याचिका पर विचार नहीं किया गया और कोई राहत नहीं दी गई। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विवादित भूमि प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आती है और यह अधिग्रहित भूमि भी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी अनुमति के अभाव में, याचिकाकर्ताओं ने अपने जोखिम पर निर्माण कार्य किया है, और न्यायसंगत दृष्टिकोण से इसकी अनुमति या अनुमोदन नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब यह कार्रवाई 1976 के अधिनियम के आदेश के विपरीत है। उनके अनुसार, योजनाबद्ध विकास योजना के अंतर्गत ऐसा निर्माण कार्य अनुमेय नहीं है, और प्राधिकरण का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के अनुसार ही किए जाएं। वे आगे निवेदन करती हैं कि याचिकाकर्ताओं का दावा, जो 21.11.2022 की कथित विक्रय विलेख पर आधारित है, अपने आप में उनके अधिकार, स्वामित्व और संबंधित भूमि पर उनके हित से जुड़े गंभीर रूप से विवादित तथ्यों को शामिल करता है, जिनका रिट क्षेत्राधिकार के तहत न्यायनिर्णय नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने विक्रय विलेख के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर कुछ अधिकारों का दावा किया है, इसलिए यह न्यायालय पाता है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व, अधिकार या दावे से संबंधित कोई भी मुद्दा तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित होगा, जिनका रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उचित रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



6. जैसा भी हो, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने राहत को इस हद तक सीमित रखा है कि उनके आवेदन का निर्णय कानून के अनुसार किया जाए, मामले के गुण-दोषों में प्रवेश किए बिना, और पक्षों की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** किया जाता है, और याचिकाकर्ताओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है। यदि ऐसा आवेदन आज से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

(न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

23 मार्च, 2026

एनएलवाई

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**